

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय नवीनमहाविद्यालय--बोरी,जिला--दुर्ग (छ.ग.)

NAAC Accredited "B" Grade
www.govtcollegebori.com
Email-govtcollegebori@gmail.com
College Code - 1609

क्र. १-१२२ अतिथि व्याख्याता / 2023

बोरी दिनांक 12 / 08 / 2023

विज्ञापन

अतिथिव्याख्याताओं के अध्यापनकार्यहेतुसूचना

महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में शासकीय महाविद्यालयों में रिक्त शिक्षकीय पदों पर अतिथि व्याख्याताओं से अध्यापन व्यवस्था, आदेशानुसार छ.ग. शासन उच्चशिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर आदेश क्र एफ 3-54/2020/38-1 नवारायपुर, दिनांक 07.07.2023 तथा 504/126/आउशि/राज.स्था./2023 नवा. रायपुर अटल नगर दिनांक 10/07/2023 प्राध्यापक/सहा.प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि व्याख्याताओं को अध्यापन कार्य करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक अथवा स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 21.08.2023 तक सायं 5.00 बजे तक जमा कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता स्नातक स्तर पर 50% एवं स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55% प्राप्तांक होना अनिवार्य है। अजा. अजजा. के उम्मीदवारों को नियमानुसार 5% की छूट का प्रावधान है। नेट/स्लेट/पी.एच.डी./एम.फिल उम्मीदवारों को शासन के नियमानुसार अधिभार की पात्रता रहेगी। चयनित उम्मीदवारों को प्रति व्याख्यान शासन के नियमानुसार मानदेय दिया जायेगा।

निम्नलिखित विषयों में अतिथि व्याख्याता के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

क्रं.	विषय	रिक्त पद
1	वाणिज्य	01

यह व्यवस्थानिम्न शर्तों की अधिनहोगी:

- उपरोक्त पद हेतु शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय - समय पर एवं आयुक्त उच्च शिक्षा रायपुर के आदेश के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रवीण्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रवीण्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के अनुसार अध्यापन हेतु बुलाया जा सकेगा। मानदेय राशि 300 रु. प्रतिव्याख्यान (45 मिनट) देय होगा प्रतिदिन अधिकतम 1200.00/- तथा प्रतिमाह अधिकतम 31200/- रु. देय होगा।
- अतिथि व्याख्याता किसी भी हैसियत से महाविद्यालय स्थापना के अंतर्गत नहीं माने जायेंगे।
- चयनित उम्मीदवार के विरुद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई उपराधिक प्रकरण लंबित न हो तथा शासकीय /अर्द्ध शासकीय सेवक न हो इस आशय का कार्यभार ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- लोक सेवा आयोग से नियुक्ति /स्थानान्तरण/शासन के आगामी आदेश / संतोष जनक सेवा पर अतिथि व्याख्याता की व्यवस्था को बिना पूर्वसूचना के प्राचार्य समाप्त कर सकेंगे।

PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, BORI
(प्राचार्य) DIST-DURG

क्र. /अतिथि व्याख्याता / 2023

बोरी दिनांक / / 2023

प्रतिलिपि :

- आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग ब्लाक-सी 30 द्वितीय एवं तृतीय तल इंद्रावती भवन नया रायपुर छ.ग.को सूचनार्थ।
- जिलाधीश महोदय, दुर्ग छ.ग. को सादर सूचनार्थ।
- कुलसचिव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, कृपया उपरोक्त सूचना, सूचना पटल पर चरसा करने का कष्ट करें।
- प्राचार्य शा. वि.या.ता. स्वा. महाविद्यालय दुर्ग, कृपया उपरोक्त सूचना, सूचना पटल पर चरसा करने का कष्ट करें।
- प्राचार्य सनस्त महाविद्यालय कृपया उपरोक्त विज्ञापन सूचना पटल पर चरसा करने का कष्ट करें।
- रोजगारअधिकारी, रोजगारकार्यालय दुर्ग, कृपया उपरोक्त सूचना, सूचना पटल पर चरसा करने का कष्ट करें।
- महाविद्यालय के सूचना पटल हेतु, उपरोक्त सूचना, सूचना पटल पर चरसा करने का कष्ट करें।
- प्रति. संपादक.....दुर्ग छ.ग., जनहित में अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।

(डॉ आनंदकुमार विश्वकर्मा)

PRINCIPAL
GOVT. COLLEGE, BORI
DIST-DURG